प्रेस नोट　　　　　पुलिस कमिश्नरेट गाजियाबाद　　　　　दिनांक 22.09.2024

थाना कौशाम्बी पुलिस टीम द्वारा दो पहिया वाहन चोरी करने वाले 02 शातिर अभियुक्त गिरफ्तार, कब्जे से चोरी की 01 स्कूटी व 02 फर्जी नम्बर प्लेट बरामद ।

कार्यवाही का विवरण: दिनांक 21.09.2024 को थाना कौशाम्बी पुलिस टीम द्वारा चेकिंग के दौरान व मुखबिर की सूचना के आधार पर दो पहिया वाहन चोरी करने वाले 02 शातिर अभियुक्त 1.राजू यादव पुत्र भोजराज सिंह निवासी खोडा लेबर चौक नेहरू गार्डन गली नं0 5 सैक्टर 58 नोएडा (गौतम बुद्ध नगर), मूल पता ग्राम रघुपुर थाना जरीफनगर जिला बदांयू उम्र 23 वर्ष, 2.पवन कुमार पुत्र नरेश दास निवासी एच ब्लाक गली नं0 2 बिसनपुरा सैक्टर 58 नोएडा(गौतम बुद्ध नगर) मूल पता ग्राम मौहम्मदपुर जिला बेगुसराय बिहार उम्र 20 वर्ष को सैक्टर 2/5 की पुलिया से गिरफ्तार किया गया। जिनके कब्जे से चोरी की 01 स्कूटी व 02 फर्जी नंबर प्लेट बरामद हुई । अभियुक्त उपरोक्त के विरुद्ध सुसंगत धराओं में अभियोग पंजीकृत कर आवश्यक वैधानिक कार्यवाही की जा रही है।

पूछताछ का विवरण-

गिरफ्तार अभियुक्तगण ने पूछताछ करने पर बताया कि हम दोनों से प्राप्त स्कूटी चोरी की ही है। जिसको हम दोनो ने मिलकर करीब 4-5 महीने पहले मदीना मस्जिद के पास जाफराबाद दिल्ली से चोरी की थी।

गिरफ्तार अभियुक्तों का नाम व पता:

1. राजू यादव पुत्र भोजराज सिंह निवासी खोडा लेबर चौक नेहरू गार्डन गली नं0 5 सैक्टर 58 नोएडा (गौतम बुद्ध नगर), मूल पता ग्राम रघुपुर थाना जरीफनगर जिला बदांयू उम्र 23 वर्ष।
2. पवन कुमार पुत्र नरेश दास निवासी एच ब्लाक गली नं0 2 बिसनपुरा सैक्टर 58 नोएडा(गौतम बुद्ध नगर) मूल पता ग्राम मौहम्मदपुर जिला बेगुसराय बिहार उम्र 20 वर्ष।

बरामदगी का विवरण:

- कब्जे से चोरी की 01 स्कूटी व 02 फर्जी नम्बर प्लेट बरामद।

गिरफ्तार अभियुक्तों का आपराधिक इतिहास:

गिरफ्तार अभियुक्त राजू यादव पुत्र भोजराज सिंह निवासी उपरोक्त के विरुद्द कमिश्नरेट गौतम बुद्ध नगर में चोरी का 01 अभियोग पंजीकृत है।

गिरफ्तार करने वाली पुलिस टीम:

थाना कौशाम्बी पुलिस टीम।

थाना ट्रोनिका सिटी पुलिस टीम द्वारा हत्या के अभियोग में वांछित 02 अभियुक्त गिरफ्तार, घटना में प्रयुक्त आला कत्ल एक छुरी बरामद।

दिनांक 17.09.2024 को थाना ट्रोनिका सिटी कमि0 गाजियाबाद पर वादिया द्वारा दिये गये लिखित प्रार्थना-पत्र जिसमें अभियुक्तगण द्वारा वादिया के पति राशिद की हत्या कर शव खेत में फेंक देना व अभियुक्ता द्वारा धमकी देने के सम्बन्ध में मुकदमा पंजीकृत किया गया तथा अभियुक्तों की गिरफ्तारी व आलाकत्ल की बरामदगी हेतु टीम गठित की गयी। तत्पश्चात दिनांक 20.09.2024 को थाना ट्रोनिका सिटी पुलिस टीम द्वारा उपरोक्त घटना का सफल अनावरण करते हुए अभियुक्त गुलफाम पुत्र लतीफ निवासी लाटर देवा थाना धनरेडा जिला हरिद्वार हाल किरायेदार मकान प्रवेज पुत्र कल्लू खान निवासी बिलाल मस्जिद कस्बा व थाना सिखेडा जिला मुजफ्फरनगर उम्र 35 वर्ष व अभियुक्ता शहनाज पत्नी महताब निवासी ग्राम बदरपुर थाना ट्रोनिका सिटी गाजियाबाद उम्र 40 वर्ष को गिरफ्तार कर जेल भेजा जा चुका है।

उपरोक्त घटना में आज दिनांक 22.09.2024 को थाना ट्रोनिका सिटी पुलिस टीम द्वारा वांछित चल रहे अभियुक्त सुहैल व जावेद को मुखबिर की सूचना पर यमुना पुस्ता रोड ठोकर न0 11 के सामने से गिरफ्तार किया गया। अभियुक्त सुहैल की निशांदेही से घटना में प्रयुक्त आलाकत्ल नाजायज छुरी मीरपुर जाने वाले रास्ते पीपल के पेड पास धान के खेत से बरामद किया गया।

पूछताछ का विवरण

अभियुक्त सुहैल व जावेद ने बताया कि हमारा मोबाईल फोन को लेकर मृतक राशिद व उसके लडके सौफियान से विवाद हुआ था। इसी बात से नाराज होकर राशिद का बेटा सौफियान दिनांक 13.09.2024 को अपने घर से चला गया था और वापस नही आया तो राशिद हम लोगो को धमकी दे रहा था कि अगर मेरा बेटा वापस नही आया तो तुम्हे जेल भिजवा दुंगा। हमने राशिद को रास्ते से हटाने का प्लान बनाया तथा दिनांक 16-17/09.24 की रात्रि में जब राशिद (मृतक) अपने हाथ मे डंडा लिये अपने बेटे की तलाश करता हुआ हमारे मकान के पीछे से निकलकर जा रहा था तो हमने मिलकर राशिद (मृतक) का मुँह भीचकर अपने मकान के पीछे वाली जगह ले गये और राशिद (मृतक) से उसका डंडा छीनकर उसके मुँह व सिर पर जमकर मारपीट की गयी जिससे उसकी मौके पर मौत हो गयी थी। सुहैल द्वारा अपनी छुरी से राशिद (मृतक) की पहचान छुपाने के लिये उसके चेहरे पर कई वार किये थे। राशिद (मृतक) के शव को हमने गाँव के बाहर हारुन के धान के खेत में डाल दिया था और मृतक का मोबाइल भी वहाँ गढ्ढे में दबा दिया व लकडी डण्डा भी वहीं छुपा दिया था तथा आला कत्ल छुरी नाजायज को सुहैल द्वारा मीरपुर जाने वाले रास्ते पीपल के पेड के नीचे धान के खेत मे गढ्ढे में दबा दिया था।

गिरफ्तार अभियुक्तों का नाम/पता

1. सुहैल पुत्र बल्लू निवासी बदरपुर थाना ट्रोनिका सिटी गाजियाबाद, उम्र 19 वर्ष
2. जावेद पुत्र मेहताब निवासी बदरपुर थाना ट्रोनिका सिटी गाजियाबाद, उम्र 26 वर्ष

अपराधिक इतिहास/पंजीकृत अभियोग

अभियुक्तों के विरुद्ध थाना ट्रोनिका सिटी पर उपरोक्त हत्या की घटना के संबंध में 01 अभियोग पंजीकृत है व अन्य अपराधिक इतिहास की जानकारी की जा रही है।

बरामदगी का विवरण

एक छुरी नाजायज आला कत्ल बरामद।

गिरफ्तारी/बरामदगी करने वाली टीम

थाना ट्रोनिका सिटी पुलिस टीम

थाना साहिबाबाद पुलिस टीम द्वारा गैंगस्टर एक्ट के अभियोग में वाँछित 02 अभियुक्त गिरफ्तार।

दिनांक 22.09.2024 को थाना साहिबाबाद पुलिस टीम द्वारा मुखबिर की सूचना के आधार पर थाना साहिबाबाद पर गैंगस्टर एक्ट के अन्तर्गत पंजीकृत अभियोग मे वाँछित चल रहे अभियुक्त 1.राजेन्द्र प्रसाद शर्मा पुत्र रामचन्द्र शर्मा निवासी 7 शिवाजी नगर थाना पिलखुआ जनपद हापुड हाल पता SJ-21 शास्त्री नगर थाना कविनगर कमिश्नरेट गाजियाबाद को शास्त्रीनगर चौराहा थाना कविनगर कमिश्नरेट गाजियाबाद से व अभियुक्त 2.हनुमत प्रसाद पुत्र रामजीवन दास निवासी बी-20/3/29 हनुमन्त सेवक निवास लक्ष्मण घाट कोतवाली अयोध्या जनपद फैजाबाद को सदगुरु निकुज के सामने रामगाट अयोध्या थाना कोतवाली से के गिरफ्तार किया गया। अभियुक्तगण उपरोक्त के विरुद्ध आवश्यक वैधानिक कार्यवाही की जा रही है

अभियुक्तगण के द्वारा पूर्व सुनियोजित तरीके से धोखाधडी करते हुये जमीन हडपने के उद्देश्य से फर्जी मुख्तयारनामा आदि तैयार करना व अवैध धन अर्जित करता था।

गिरफ्तार अभियुक्तों का नाम व पता:

1.राजेन्द्र प्रसाद शर्मा पुत्र रामचन्द्र शर्मा निवासी 7 शिवाजी नगर थाना पिलखुआ जनपद हापुड हाल पता SJ-21 शास्त्री नगर थाना कविनगर कमिश्नरेट गाजियाबाद।

2.हनुमत प्रसाद पुत्र रामजीवन दास निवासी बी-20/3/29 हनुमन्त सेवक निवास लक्ष्मण घाट कोतवाली अयोध्या जनपद फैजाबाद।

गिरफ्तार अभियुक्तगणों का आपराधिक इतिहास

- अभियुक्त राजेन्द्र प्रसाद शर्मा पुत्र रामचन्द्र शर्मा उपरोक्त के विरूद्ध थाना साहिबाबाद पर फर्जी मुख्तयार नामा तैयार कर धोखाधडी करने के 04 अभियोग व गैगस्टर एक्ट के 02 अभियोग पंजीकृत है।
- अभियुक्त हनुमत प्रसाद पुत्र रामजीवन दास उपरोक्त के विरूद्ध थाना साहिबाबाद पर फर्जी मुख्तयार नामा तैयार कर धोखाधडी करने के 03 अभियोग व गैगस्टर एक्ट के 02 अभियोग थाना साहिबाबाद पर पंजीकृत है।

गिरफ्तार करने वाली टीम:

थाना साहिबाबाद पुलिस टीम।

थाना शालीमार गार्डन पुलिस टीम द्वारा दो पहिया वाहन चोरी करने वाला 01 शातिर अभियुक्त गिरफ्तार, कब्जे से चोरी की 01 मोटर साइकिल बरामद।

कार्यवाही का विवरण: दिनांक 22.09.2024 को थाना शालीमार गार्डन पुलिस टीम द्वारा चोकिंग के दौरान व मुखबिर की सूचना के आधार पर दो पाहिया वाहन चोरी करने वाला 01 शातिर अभियुक्त मोहित जाटव पुत्र बीरमपाल सिहं निवासी रघुवीर इन्क्लेव पसौन्डा थाना टीलामोड़ गाजियाबाद, स्थायी पता रूठा थाना जगीराबाद जनपद बुलन्दशहर उम्र 30 वर्ष को पन्नू चौक शालीमार गार्डन से गिरफ्तार किया गया। जिसके कब्जे से चोरी

की 01 मोटर साईकिल बरामद हुई। अभियुक्त उपरोक्त के विरुद्ध सुसंगत धाराओं में अभियोग पंजीकृत कर आवश्यक वैधानिक कार्यवाही की जा रही है।

पूछताछ का विवरणः

गिरफ्तार अभियुक्त ने पूछताछ करने पर बताया कि मैने यह मोटर साइकिल दिल्ली मण्डोली से चोरी की थी।

गिरफ्तार अभियुक्त का नाम व पताः

मोहित जाटव पुत्र बीरमपाल सिहं निवासी रघुवीर इन्क्लेव पसौन्डा थाना टीलामोड़ गाजियाबाद, स्थायी पता रूठा थाना जगीराबाद जनपद बुलन्दशहर उम्र 30 वर्ष।

बरामदगी का विवरण-

- कब्जे से चोरी की 01 मोटर साइकिल बरामद।

अभियुक्त का अपराधिक इतिहासः

गिरफ्तार अभियुक्त उपरोक्त के विरुद्ध थाना शालीमार गार्डन में चोरी का 01 अभियोग पंजीकृत है। व क्राइम ब्रांच दिल्ली में चोरी का 01 अभियोग पंजीकृत है।

गिरफ्तार करने वाली पुलिस टीमः

थाना शालीमार गार्डन पुलिस टीम।

थाना वेव सिटी पुलिस टीम द्वारा दुष्कर्म के अभियोग में वांछित अभियुक्त गिरफ्तार।

दिनांक 21.09.2024 को थाना वेव सिटी पर वादिया की प्राप्त तहरीर के आधार पर अभियुक्त शादाब पुत्र मुनिया निवासी कस्बा डासना गाजियाबाद द्वारा वादिया को शादी करने का झांसा देकर वादिया के साथ दुष्कर्म करने के सम्बन्ध में थाना वेव सिटी पर सुसंगत धाराओं में अभियोग पंजीकृत किया गया था। तत्पश्चात वादिया से पूछताछ में यह भी तथ्य प्रकाश में आये कि अभियुक्त द्वारा वादिया पर बुर्का पहनने तथा मुस्लिम रीति रिवाज का पालन करने हेतु दबाव बनाया गया व वादिया का मुस्लिम नाम रख दिया तथा वादिया से उसका परिवार छोड़ने को कहा गया। तत्पश्चात अभियुक्त की गिरफ्तारी हेतु थाना स्तर से दो टीम गठित की गई थीं। गठित टीम द्वारा मैनुअल इनपुट की मदद से उपरोक्त घटना में वांछित अभियुक्त को आज दिनांक 22.09.24 को गिरफ्तार किया गया है। अभियुक्त से उक्त प्रकरण में पूछताछ कर अग्रिम विधिक कार्यवाही की जा रही है।

गिरफ्तार अभियुक्त का नाम पताः-

शादाब पुत्र मुनिया उर्फ अमीरुद्दीन निवासी काजी वाली मस्जिद के पास मौहल्ला कुरेशियान कस्बा डासना थाना वेव सिटी जनपद गाजियाबाद, उम्र 23 वर्ष

गिरफ्तार करने वाली पुलिस टीम

थाना वेव सिटी पुलिस टीम